संख्याः 2—214/2019—हि०प्र०वि०वि०(सा०)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
"सामान्य प्रशासन शाखा"
.....

प्रेषित,

1— आचार्य सिकन्दर कुमार, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला—5
2— आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, माननीय प्रति कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला—5
3— अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त), हि०प्र० सरकार, शिमला—2
4— प्रधान सचिव (शिक्षा), हि०प्र० सरकार, शिमला—2
5— शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—1
6— आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला—5
7— आचार्य आशु कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता दन्त—विज्ञान संकाय, आई.जी.एम.सी. शिमला—1
8— श्री आशिथ कुमार मिश्रा, प्राचार्य, राज० महाविद्यालय देहरी, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
9— श्री राकेश कुमार, माननीय विधायक, विधान सभा, सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र, गॉव पुंघ, डा० व तह० सुन्दरनगर जिला, मण्डी हि०प्र०।
10— आचार्य एस.एस. कंवर, जैव—प्रौद्योगिकी विभाग, हि०प्र०वि०, शिमला—5
11— श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा, बिलासपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र, मकान नं.23/4, सैक्टर—2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
12— श्री बिपन कुमार, अधीक्षक, स्थापना शाखा, हि०प्र०वि०,शिमला—5
13— आचार्य एन.के. शारदा, मंग्रलयान कंगनाधार, फेज-III, शिमला—9
14— आचार्य वी.पी. शर्मा, वशिष्ट भवन, बीलो पुलिस पोस्ट समरहिल, शिमला—5
15— श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सह—आचार्य, पत्रकारिता विभाग, इक्डोल, हि०प्र०वि०, शिमला—5

दिनांकः शिमला—5, 31 JAN 2019

विषयः— कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2019 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही।

महोदय/महोदया,

कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2019 की प्रथम नियमित बैठक जो दिनांक 22 जनवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(घनश्याम चन्द) हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य—सचिव

पृष्ठांकन संख्याः सम ।
दिनांकः 31 JAN 2019

प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित हैः—
1— प्रधान सचिव कुलाधिपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल, हि०प्र० राज भवन, शिमला को मद संख्या 16 से 31 की कार्यसूची सहित।
2— अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण/निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र/वित्त अधिकारी /परीक्षा नियन्त्रक, हि०प्र०वि०, शिमला—5
3— समस्त संकायों के अधिष्ठाता/समस्त अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष, हि०प्र०वि०, शिमला—5
4— संयुक्त परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग/सहायक कुलसचिव (स्था०), हि०प्र०वि०, शिमला—5
5— प्राचार्य, हि०प्र०वि० सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला —1
6— प्रभारी, हि०प्र०वि० वैब—साईट, हि०प्र०वि०, शिमला —5 को उपरोक्त कार्यवाही को विश्वविद्यालय वैब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7— उप कुलसचिव(कुलपति कार्या०)/अनुभाग अधिकारी(कुलसचिव कार्या०), हि०प्र०वि०, शिमला—5
8— सचिव कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला—5
9— रक्षक मिसिल ।

कुलसचिव

मान्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहाल कर दी तथा भविष्य में प्रवेश करवाने के आदेश दिए।

उन्होंने परिषद् को अवगत करवाया कि दिनांक 30 अक्तूबर, 2018 को विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह परिसर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी रहे। इस दीक्षांत समारोह के दौरान दो शैक्षणिक सत्रों के स्वर्ण पदक तथा एक सत्र की विद्यावाचस्पति की उपाधियां वितरित की गईं। कुल 230 स्वर्ण पदक तथा 170 छात्र-छात्राओं को पी.एचडी. उपाधि प्रदान की गई जिसमें मुख्य अतिथि, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने माननीय कुलाधिपति जी की उपस्थिति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली 10 छात्राओं को स्वर्ण पदक तथा एक दिव्यांग छात्र को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की। छात्राओं का प्रतिशत स्वर्ण पदक और उपाधि धारकों में 78 प्रतिशत रहा।

उन्होंने कहा कि मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने कुलपति का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रदेश सरकार व ज़िला प्रशासन के सहयोग से UILS, UCBS, HPUCES, की ज़मीन को विश्वविद्यालय के नाम करवाया व कुछ पर कार्य अभी चल रहा है। विश्वविद्यालय को एकीकृत परिसर करने के उद्देश्य से निशानदेही का काम चला है और हमारे पास कुल 231 बीघा ज़मीन है जिसमें से लगभग 29 बीघा ज़मीन विश्वविद्यालय की निकली है। इस पर अब तक लगभग 70 प्रतिशत कार्य हुआ है व शेष कार्य प्रगति पर है। इस ज़मीन पर वर्तमान में कांटेदार तार से बाड़ लगाई जा रही है।

कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि विगत अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 25-26 सितम्बर, 2018 को दीन दयाल उपाध्याय पीठ द्वारा "दीन दयाल उपाध्याय के चिन्तन में आर्थिक पक्ष" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि, हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री डॉ.राजीव सैजल रहे।

2. दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के महिला संघ की पूरी कार्यकारिणी ने आचार्य राजिन्द्रा शर्मा की अध्यक्षता में शिष्टाचार स्वरूप भेंट की। मुख्य मांगों में महिला प्राध्यापकों के बच्चों के लिए क्रैच खोलना, महिला कार्यकारिणी की बैठक हेतु सामान्य कक्ष तथा पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाना था।

3. दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ ने भी शिष्टाचार स्वरूप भेंट की।

4. दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिमाचल सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उडडयन विभाग व विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के तत्वावधान में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता की।

5. दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया।

6. दिनांक 2 से 5 अक्तूबर, 2018 तक दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय एवं न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विचार-विमर्श किया।

7. दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, टाण्डा के प्रथम दीक्षांत समारोह से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई।

8. दिनांक 8 अक्तूबर, 2018 को साफ्ट स्किल विषय पर जनजातीय अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की।

9. दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा लिंग समानता (जैंडर चैम्पियन) के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

10. दिनांक 13 अक्तूबर, 2018 को मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा हिन्दी विषय पर पुनश्चर्या पाठयक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

11. दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांगों को सुविधाएं देने की दृष्टि से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए करीब 15 लाख रुपये की लागत से सुगम्य पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित विद्यार्थी टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कम्प्यूटरों के जरिये पुस्तकें पढ़ते हैं। यह कार्यक्रम कैन दिवस के रुप में आयोजित किया गया तथा उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की।

12. दिनांक 15 अक्तूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केन्द्रीय छात्र संघ (परिसर) अकादमिक सत्र 2018-19 की नवगठित कार्यकारिणी को एक सादे एवं गरिमापूर्ण समारोह में शपथ ग्रहण करवाई गई।

13. दिनांक 17 अक्तूबर, 2018 को समिति कक्ष में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड अध्ययन केन्द्र द्वारा एक दिवसीय कहानी एवं कविता लेखन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

14. दिनांक 20 अक्तूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया।

2

15. दिनांक 23 अक्तूबर, 2018 को विश्वविद्यालय में नेत्र व रक्त दान शिविर आयोजित किया गया।

16. दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी विभागों, कार्यालयों व केन्द्रों में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सभी प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्रों ने भाग लिया।

17. दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को विधि विभाग के समिति कक्ष में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड अध्ययन केन्द्र द्वारा अन्तर विभागीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

18. दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को पंचवर्षीय विधिक संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

19. दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 को डॉ.राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी ने शिरकत की।

20. दिनांक 30 अक्तूबर, 2018 को विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह परिसर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी थे। कुल 230 स्वर्ण पदक तथा 170 छात्र-छात्राओं को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई जिसमें मुख्य अतिथि, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने माननीय कुलाधिपति जी की उपस्थिति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली 10 छात्राओं को स्वर्ण पदक तथा एक दिव्यांग छात्र को पी.एचडी. की उपाधि प्रदान की। छात्राओं का प्रतिशत स्वर्ण पदक और उपाधि धारकों में 78 प्रतिशत रहा।

21. दिनांक 2-4 नवम्बर, 2018 को आई.आई.एम. जम्मू में निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लिया।

22. दिनांक 5 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का समापन समारोह विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

23. दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय प्राध्यापक कल्याण संघ के साथ बैठक आयोजित की गई।

24. दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत युवा भारत को उद्यमशीलता के रुप में परिवर्तित करने के लिए वर्तमान समय में एक सफल प्रयास के अन्तर्गत स्टार्टअप इंडिया यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

25. दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान के स्टाफ के साथ बैठक आयोजित की गई।

2

26. दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को रूसा धनराशि अपयोग से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई।

27. दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा को लेकर समिति की बैठक की। इसके अतिरिक्त परिसर की जमीन की निशानदेही के अन्तर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

28. दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके इर्द-गिर्द मोबाईल फोन पर व्यापक सिगनल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

29. दिनांक 21 नवम्बर, 2018 को उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली में अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारम्भ में भाग लिया। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।

30. दिनांक 21 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी हेतु भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।

31. दिनांक 21 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निर्माण विंग के कर्मचारियों हेतु भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।

32. दिनांक 21 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

33. दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

34. दिनांक 23-25 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एल्जेबरा तथा कन्टीन्यूयम मकैनिक्स का शुभारम्भ किया।

35. दिनांक 23 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय विज्ञान प्रेरणा शिविर का शुभारम्भ किया गया।

36. दिनांक 23 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय के गणित विभाग द्वारा विश्वविद्यालय-सैप हेतु सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

37. दिनांक 24 नवम्बर, 2018 को अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

38. दिनांक 24 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय गद्दी विद्यार्थी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

2/

39. दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर अम्बेडकर पीठ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ने शिरकत की।

40. दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को मॉर्डन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन में 'अन्तर विषयक व्यवसायिक विकास' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

41. दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय विज्ञान प्रेरणा शिविर के समापन समारोह में शिरकत की।

42. दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने की।

43. दिनांक 1 दिसम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिहायशी मकानों से सम्बन्धित एक बैठक आयोजित की गई।

44. दिनांक 5-6 दिसम्बर, 2018 को राजकीय महाविद्यालय ऊना के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भाग लिया।

45. दिनांक 7-8 दिसम्बर, 2018 को चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय भारतीय संघ द्वारा उत्तर क्षेत्रीय कुलपति सम्मेलन में भाग लिया।

46. दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैण्ड अध्ययन केन्द्र की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

47. दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास परिसर के नीचे नई निकली ज़मीन का अधिकारियों के साथ दौरा किया। इसके अतिरिक्त परिसर में स्थित कन्या छात्रावासों का निरीक्षण किया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

48. दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 को आशियाना, द रिज, शिमला में भारतीय डाक विभाग द्वारा विज्ञान संवितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

49. दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय में महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. के साथ विभिन्न कार्यों के बारे में बैठक आयोजित की गई।

50. दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि लागत योजना के क्षेत्रीय तकनीकी कर्मचारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

2

51. दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परिसर सौन्दर्यकरण तथा शिक्षक एवं गैर शिक्षक आवास परिसर समितियों की बैठक ली।

52. दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को बी.बी.एन. महाविद्यालय चकमोह में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

53. दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में इस समय चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति तथा विशेष रुप से छात्रावासों की मरम्मत व विश्वविद्यालय के अन्य भवनों के रखरखाव के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक की तथा परिसर का दौरा किया जिसमें रैड रूफ, आवालॉज, चैरिटन ईस्टेट में गैर शिक्षक कर्मचारियों का आवासीय परिसर शामिल हैं।

54. दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय में निर्माण से सम्बन्धित समिति की बैठक आयोजित की गई।

55. दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश शिमला के राज्य संग्राहालय में चित्रकला कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

56. दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को होटल पीटर हॉफ में एक समाचार टी.वी. चैनल द्वारा प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में भाग लिया।

57. दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को श्री प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष, हिमुडा के साथ क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला से सम्बन्धित एक बैठक आयोजित की गई।

58. दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश प्राध्यापक संघ के साथ बैठक आयोजित की।

59. दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'उद्यमशीलता कौशल विकास के लिए रासायनिक भौतिक और जीवन विज्ञान में उभरते रुझान' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

60. दिनांक 9 जनवरी, 2019 को अकादमिक एवं नियोजन मंडल की बैठक आयोजित की गई।

61. दिनांक 9 जनवरी, 2019 को विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

62. दिनांक 16 जनवरी, 2019 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में राज्य योजना बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

63. दिनांक 18 जनवरी, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

तत्पश्चात् उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

2/

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 25.09.2018 में लिए निर्णयों का पुष्टिकरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 25–09–2018 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 25.09.2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 25.09.2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–4: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष कुलपति महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12–सी(7) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 24वें दीक्षांत समारोह के आयोजन का निर्णय कार्योतर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30–10–2018 को आयोजित किए गए 24वें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु माननीय कुलपति महोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 की धारा 12-C(7) में निहित शक्तियों के अंतर्गत लिए गए निर्णय को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मुख्य पुस्तकालय में दैनिक वेतन भोगी आधार पर कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर के रूप में कार्यरत सुश्री मोनिका "Mode of Appointment" का एक ही संवर्ग, समान योग्यताओं, समान वेतनमान व एक ही दिन नियुक्ति के दृष्टिगत, "दैनिक वेतन भोगी से" "अनुबंध आधार" पर करने हेतु कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मुख्य पुस्तकालय में दैनिक वेतन भोगी आधार पर कार्यरत सुश्री मोनिका, कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर की सेवाओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से अनुबन्ध आधार पर करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि सुश्री मोनिका, कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर को वित्तीय

3/

लाभ उनकी नियुक्ति की तिथि से सांकेतिक आधार (Notional basis) पर तथा दिनांक 22.01.2019 से वास्तविक आधार पर वित्तीय लाभ देय होंगे।

मद संख्या–7: वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2018 में मद संख्या–4 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित कोटे में छूट प्रदान करने बारे की गई सिफारिशें जिसे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा इसकी बैठक दिनांक 25.09.2018 में मद संख्या–12 द्वारा अनुमोदित किया गया है पर कार्यकारिणी सदस्य श्री बिपन कुमार द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2018 पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 11–09–2018 अतिरिक्त मद संख्या–4 के अंतर्गत की गई सिफारिशों जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 25–09–2018 को हुई बैठक में मद संख्या–12 के अंतर्गत अनुमोदित किया था के अनुसरण में श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् द्वारा माननीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या– 5975/2018 दिनांक 1–11–2018 में पारित आदेशों के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के वर्ग में पदोन्नति हेतु अनुपालना न होने पर उठाई गई आपत्ति जिसमें चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप–डी) से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु भर्ती एवं पदोननति कोटे में लिपिक संवर्ग के कुल स्वीकृत 232 पदों का 20 प्रतिशत एल.डी. आर. कोटे में पदोन्नति (अर्थात 47 पदों) की अनुशंसा की थी जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर 30 कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए थे। अतः कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण द्वारा ओ. ए. संख्या–5975/2018 दिनांक 1–11–2018 में पारित आदेशों की अनुपालना और सदस्य कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उठाई गई आपत्ति पर चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से अपनी पिछली बैठक दिनांक 25–09–2018 को मद संख्या–12 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शेष 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–8: सुश्री चारू शर्मा, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(अनुबन्ध आधारित) का प्रतिवेदन दिनांक 18.10.2018 जिसमें उनके द्वारा M.Tech, 2nd year नियमित कोर्स को करने की अनुमति प्रदान बारे अनुरोध किया गया है बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित आदेश हो हेतु रखने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर चर्चा के उपरान्त सुश्री चारू शर्मा, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(अनुबन्ध आधारित) द्वारा किए गए आवेदन पर उन्हें M.Tech, 2nd year कोर्स को नियमित आधार पर करने हेतु विशेष प्रकरण के तौर पर अपनी कार्योत्तर

स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य के लिए इसे परम्परा नहीं माना जाएगा।

मद संख्या–9: To place before the Executive Council, the matter of amendment/addition in the provisions of Ordinances 42.2 of the First Ordinance of the Himachal Pradesh University for making provisions of organization of Career Counseling, Guidance and Placement Activities.

....

कार्यकारिणी परिषद् ने सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित निर्देशों जिसमें प्रदेश सरकार ने जीवनवृत मार्गदर्शन, परामर्श नियोजन प्रकोष्ठ के अंतर्गत चयनित महाविद्यालयों में बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार देने एवं जागरूकता अभियान और युवाओं की बेराजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उत्कृष्टता एवं ऊष्मायन केन्द्र (Centre of Excellence-cum-Incubation Centre) स्थापित किए हैं। चयनित महाविद्यालयों द्वारा उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु इस पर होने वाले व्यय के वहन के लिए कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2(xxxi) में निम्नलिखित संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Proposed Amendment/Addition

In Ordinance 42.2 under para xxxi of the First Ordinances of the University, the following amendment be inserted, namely:

(xxxi) ***Youth welfare activities such as facilitate employment to the Youth by organizing Job fairs in colleges, organization of career counseling guidance and related activities, awareness of adolescents through "Career Guidance Counseling and Placement Cell"***

मद संख्या–10: वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2018 में मद संख्या–04 पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात GPF, CPF, CPS और Pension Corpus Fund के निवेश मामले को कार्यकारिणी परिषद् की उचित अनुशंसा हेतु प्रेषित करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत विश्वविद्यालय के GPF, CPF, CPS और Pension Corpus Fund को केवल राष्ट्रीयकृत बैंको में निवेश करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न सहकारी बैंको एवं अन्य बैंको में निवेश किए गए GPF, CPF, CPS और Pension Corpus Fund को उक्त बैंको से निकालकर राष्ट्रीयकृत बैंको में निवेश किया जाए ताकि कर्मचारियों के भविष्य निधि को अधिक सुरक्षित किया जा सके। परिषद् ने भविष्य में भी GPF, CPF, CPS और Pension Corpus Fund को केवल राष्ट्रीयकृत बैंको में ही निवेश करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा राज्य सहकारी बैंक में जमा हुई विश्वविद्यालय की निवेश राशि की असामयिक (premature)

निकासी की जा सकती है यदि राष्ट्रीयकृत बैंक असामयिक (premature) निकासी की हुई राशि में होने वाली हानि को वहन करने के लिए सहमत हों।

मद संख्या–11: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10–07–2018 की सिफरिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 10.07.2018 को हुई बैठक की कार्यवाही को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–12: माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्राचार्य, बी.बी.एन. महाविद्यालय, चकमोह से प्राप्त प्रतिवेदन (जोकि डॉ० संजीव शर्मा, सह–प्राध्यापक, कैमिस्ट्री के असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) से संबंधित है,) का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने बी.बी.एन. महाविद्यालय, चकमोह की प्रबन्धन समिति द्वारा डॉ० संजीव शर्मा, सह–प्राध्यापक, कैमिस्ट्री के पक्ष में असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) हेतु दिए गए अनापति प्रमाण–पत्र के अवलोकन और प्रार्थी द्वारा किए गए आवेदन पर चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 38.5 B(d) के नियम–53 के प्रावधान में छूट प्रदान करने हेतु डॉ० संजीव शर्मा के पक्ष में असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा आगामी कार्रवाई हेतु मामला सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–13: माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार बी.बी.एन. महाविद्यालय, चकमोह में कार्यरत डॉ० अशोक शर्मा, सह–प्राध्यापक, फिजिक्स एवं डॉ० संजीव शर्मा, सह–प्राध्यापक, कैमिस्ट्री की नियुक्ति का अनुमोदन प्रारम्भिक तिथि से करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से की गई सेवा गणना के अनुसरण में क्रमशः डॉ० अशोक शर्मा, सह–प्राध्यापक, फिजिक्स एवं डॉ० संजीव शर्मा, सह–प्राध्यापक, कैमिस्ट्री को भी उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 12.11.1986 तथा 10.11.1986 से सेवा गणना हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा आगामी कार्रवाई हेतु मामला सम्बंन्धित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–14: अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में चलाए जा रहे विभिन्न स्नात/स्नातकोतर/डिप्लोमा विषयों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम(Personal Contact Programme) की समय अवधि को 1½ घंटे के स्थान पर 1 घंटा करने हेतु मद कार्यकारिणी परिषद के समक्ष कार्योतर स्वीकृति बारे प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में चलाए जा रहे विभिन्न स्नात/स्नातकोतर/डिप्लोमा विषयों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम(Personal Contact Programme) की समय अवधि को 1½ घंटे प्रति व्याख्यान के स्थान पर 1 घंटा प्रति व्याख्यान करने हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

आचार्य वी. पी. शर्मा एवं आचार्य एन. के. शारदा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद द्वारा अतिथि संकाय हेतु जारी अधिसूचना संख्या 9–16/80–हि.प्र.वि.(सामान्य) भाग–4 दिनांक 27.11.2014 पर आपति उठाते हुए यह कहा कि उक्त केन्द्र में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को अतिथि संकाय में प्रति व्याख्यान रूपये 500/– मानदेय प्रदान किया जा रहा है जबकि विश्वविद्यालय के अन्य अध्ययन विभागों में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को रूपये 1000/– प्रदान किया जा रहा है। अतः उक्त केन्द्र द्वारा सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को प्रदान किया जा रहा मानदेय तर्कसंगत नहीं है।

जिस पर विस्तार से चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत प्राध्यापकों को अतिथि संकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप रूपये 1000/– प्रति व्याख्यान तथा शेष अतिथि संकाय को रूपये 500/–प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा।

मद संख्या–15: शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27–12–2018 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 27–12–2018 को हुई बैठक की कार्यवाही को संलग्नक के रूप में अनुमोदित किया।

मद संख्या–16: Exemption from the payment of Inspection/affiliation fee as per instruction of the Government charged from the Govt. affiliated Colleges as per instructions of Government of Himachal Pradesh.

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।

2/

मद संख्या–17: Place before the Executive Council, matter regarding grant of permission to Start New Branches; namely, Civil Engineering- 60 seats, Electrical Engineering- 60 seats and Electronics & Communication Engineering- 60 seats from the Academic Session 2019-2020 of UIIT under Self-Financing Scheme(SFS).

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विभागीय परिषद् की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में तीन नए पाठ्यक्रम Civil Engineering- 60 seats, Electrical Engineering- 60 seats and Electronics & Communication Engineering- 60 seats स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रारंभ करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित आधार पर तथा प्रदेश सरकार के नियमों के अनुरूप की जाएगी।

मद संख्या–18: विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र (USIC) को विज्ञान केन्द्रीय कार्यशाला (Science Central Workshop) में समायोजित करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र (USIC) के विज्ञान केन्द्रीय कार्यशाला (Science Central Workshop) में समायोजित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–19: जिला न्यायालय उपभोक्ता फोरम एवं समकक्ष न्यायालय में विधिक मामलों के निपटारे हेतु विश्वविद्यालय के विधिक सलाहाकार की नियुक्ति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने जिला न्यायालय उपभोक्ता फोरम एवं समकक्ष न्यायालय में विधिक मामलों के निपटारे के लिए श्री प्रदीप कुमार वर्मा, अधिवक्ता की विश्वविद्यालय के विधिक सलाहाकार के पद पर की गई नियुक्ति हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–20: विश्वविद्यालय में Left out categories कार्यरत को सचिवालय भत्ता प्रदान करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से विचार–विमर्श करने के उपरांत मामले के परीक्षण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया:–

1. आचार्य एन. के. शारदा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् –अध्यक्ष
2. आचार्य वी. पी. शर्मा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् –सदस्य
3. वित्त अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी –सदस्य
4. श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् –सदस्य
5. सहायक कुलसचिव(स्था0) –सदस्य

मद संख्या–21: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.20 में शिक्षक व गैर–शिक्षक कर्मियों को राज्य विधानसभा/संसदीय चुनाव में भाग लेने/चुनाव लड़ने के प्रावधान को पुनः बहाल करने का मामला प्रस्तुत है।

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघों एवं गैर–शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना संख्या 3–28/94–हि.प्र.वि.(सामान्य) भाग–14 दिनांक 24.12.2014 जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.20 में संशोधन कर विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, को वापिस लेने की मांग की है। अध्यक्ष, शिक्षक कर्मचारी संघ ने अपने अभ्यावेदन में सूचित किया है कि उक्त निर्णय शिक्षक समुदाय को विश्वास में लिए बिना लिया गया है तथा यह उनके राजनीतिक अधिकारों के हनन का निर्णय है। अतः शिक्षक वर्ग को पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार उनके विवेक से समाज सेवा व भलाई के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, गैर–शिक्षक कर्मचारी संगठन ने भी उपरोक्त अधिसूचना के अध्यादेश 35.20 में किए गए संशोधन को कर्मचारियों के वैधानिक एवं नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और कहा है कि विश्वविद्यालय देश और समाज को प्रतिनिधित्व एवं सेवा के लिए Mass Product उपलब्ध करवाता है जो इनके प्रत्येक वर्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करने से वंचित कर दिया गया है। अतः उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं शिक्षकों की ओर से अध्यादेश 35.20 में दिनांक 11.03.1983, 05.11.1991 एवं 24.12.2014 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करने हेतु पुनर्विचार कर इसके मूल रूप में पुनः वर्ष 1983 के पूर्व के प्रावधानों को बहाल करने का आग्रह किया है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघों एवं गैर–शिक्षक कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने अपने पूर्व में मद संख्या–48 दिनांक 16–18/2/1983 के अंतर्गत लिए गए निम्नलिखित निर्णय को बहाल व संशोधित करने का निर्णय लियाः

> "The matter was considered and approved by the Council and it was decided that the employees concerned be allowed leave of the kind due to him/her for the purpose and that necessary correction/Modification/deletion in the conduct rules of the University be made."

मद संख्या–22: डॉ० डेज़ी वर्मा, सहायक आचार्य (अंग्रेजी) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, कांगड़ा (हि.प्र.) जो की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातकोतर केंद्र, शिमला–5 में एक वर्ष आंतरिक प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण के तौर पर प्रतिनियुक्ति तथा उनकी पुनः एक वर्ष आंतरिक प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण के विस्तार का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के संदर्भ में।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० डेजी वर्मा, सहायक आचार्य (अंग्रेजी), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, कांगड़ा (हि.प्र.) जो की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातकोतर केंद्र, शिमला–5 में प्रतिनियुक्ति पर है की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की अवधि को पुनः एक वर्ष बढ़ाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–23: डॉ० संजीव कुमार बरागटा, सहायक आचार्य, राजनीतिक शास्त्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, कांगड़ा(हि.प्र.) से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक 13–11–2018 में एक वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सांध्यकालीन शिक्षण केंद्र शिमला–1 में आंतरिक प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के संदर्भ में।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० संजीव कुमार बरागटा, सहायक आचार्य, राजनीतिक शास्त्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, कांगड़ा(हि.प्र.) से हिमाचल प्रदेश सांध्यकालीन शिक्षण केंद्र शिमला–1 में की गई प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण एक वर्ष करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या– 24: The matter for restoring the pre-2015 provisions of Section 21(5) and 28(1) &(2) of the Himachal Pradesh University Act, 1970 is placed before the Executive Council for consideration and necessary recommendations to the State Govt. to place the matter before the H.P. Vidhan Sabha for approval.

....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 21 और 28 के प्रावधानों को वर्ष 2015 में किए गए संशोधनों का मामला परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम 28(1) के संशोधन के समाविष्ट होने से विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों के सेवा शर्तों से संबंधित समस्त प्रकरण जैसे पदो का सृजन, रिक्त पदों पर भर्ती, क्रमोन्नति, भर्ती एवं पदोन्नति नियम तथा वेतनमान संशोधन इत्यादि मामले प्रथमतः वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है। तदोपरांत इन्हें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक विश्वविद्यालय में पदों के सृजन एवं उनकी भर्ती का सम्बंध है विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं भर्ती राज्य सरकार द्वारा समय–समय

2/

पर जारी दिशा–निर्देशों, नियमों एवं स्वीकृति के उपरांत ही की जाती है। लेकिन उक्त अधिनियम में संशोधन के कारण विश्वविद्यालय के कई अति आवश्यक प्रकृति के कार्यों का निष्पादन समयबद्ध नहीं हो पा रहा है। अतः उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 28(1) में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन को हटाकर इसके मूल रूप को बहाल करने एवं विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को यथावत बनाए रखने के प्रकरण को विधानसभा पटल पर रखने हेतु इसे प्रदेश सरकार से उठाने की मांग की।

सदस्य श्री बिपन कुमार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 28(1) को हटाने व इसके मूल रूप को बहाल करने हेतु उठाए गए प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को विधानसभा से संशोधित करवाने हेतु प्रदेश सरकार से उठाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

<u>मद संख्याः–25</u>: श्री अमित कुमार पुत्र श्री खेम सिंह, एम.एड भाग–2 रोल नम्बर 66430 का विद्यार्थी है जिन्हें एम.एड भाग–2 के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.72 के अन्तर्गत निरस्त किया गया, का एम.एड भाग–2 का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.73 के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राप्त आवेदन पुनः कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री अमित कुमार पुत्र श्री खेम सिंह, एम.एड भाग–2 रोल नम्बर 66430 के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम(Personal Contact Programme) के लिए NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त को माफ करते हुए विद्यार्थी के एम. एड भाग–2 के परीक्षा परिणाम को घोषित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>मद संख्याः–26</u>: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 18.01.2019 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 18.01.2019 को हुई बैठक की कार्यवाही को संलग्नक के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी/संशोधन के साथ अनुमोदित कियाः–

<u>(मद संख्या–5)</u>: श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् ने पेन्शन सैल हेतु Deputy Controller, HP F&AS(OB) एक पद वित्त विभाग से स्थानांतरण आधार पर भरने हेतु आपति जताई और कहा कि उक्त पद विश्वविद्यालय में कार्यरत उप–कुलसचिव से भरा जाए जिस पर कुलपति महोदय ने आश्वसत किया कि वे मामले को वित्त समिति की कार्यवाही

2/

के पुष्टिकरण के समय समिति के समक्ष उठाकर इसका उचित समाधान करेंगे।

(मद संख्या–35): श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद ने वित्त समिति द्वारा Editors से Senior Editor के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति के प्रकरण पर परिषद् का ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया कि वित्त समिति के समक्ष Editors के पद से Senior Editor/Deputy Director के पद पर क्रमोन्नति का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि Senior Editor/Deputy Director का वेतनमान व ग्रेड पे समकक्ष है और इनके वेतनमान में कोई वितीय विवक्षा सम्मिलित नहीं है अतः उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् से आग्रह किया कि सम्बन्धित Editors के पद से क्रमोन्नत Senior Editor के पदों को पुनः पदनामित कर उप–निदेशक का पदनाम प्रदान किया जाए। जिस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय कुलपति महोदय को इस मामले का मैरिट के आधार पर परीक्षण कर समाधान करने के लिए अधिकृत किया।

मद संख्या:–27: To place before the Executive Council the matter with regard to issue of advertisement/Re-Advertisement for filing of various teaching and non-teaching posts.

....

अनुमोदित।

मद संख्या:–28: To place before the Executive Council the request of various students/teachers serving in Govt. Sector for granting the special chance for improvement of division 50% in UG (Ist, IInd, IIIrd year) & 55% in PG Course.

....

कार्यकारिणी परिषद् ने वर्ष 1990 और उसके बाद स्नातक एवं OT/MIL उपाधि धारकों को शैक्षणिक सत्र 2012–13 के पाठ्यक्रम के अनुरूप शुल्क रूपये 5000/– प्रति कक्षा के साथ श्रेणी सुधार अर्थात् द्वितीय श्रेणी(50%) हेतु एक विशेष अवसर मार्च–अप्रैल, 2019 में देने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने वर्ष 1990 और उसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को प्रचलित(in vogue) पाठ्यक्रम के अनुरूप शुल्क रूपये 5000/–प्रति समेस्टर के साथ 55% अंक सुधार हेतु एक विशेष अवसर जून, 2019 में देने हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या:–29: To place before the Executive Council the matter regarding revocation of expulsion of the students expelled vide Notification No. 1-37/2014-HPU(DS) dated 19-09-2014 and further notified vide No. 4-39/2002-HPU(Acad.) dated 21st November, 2014.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय परिनियम 23(1) एवं 23(4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों के तहत अधिसूचना संख्या 4-39/2002-HPU(Acad.) दिनांक 21–11–2014 द्वारा निष्कासित किए गए छात्रों से उनके निष्कासन को रद्द करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर विस्तार से चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए और उनकी लम्बित उपाधियों को पूर्ण करने के लिए उनके विश्वविद्यालय से किंए गए निष्कासन को रद्द करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्रों के निष्कासन को रद्द करने से पूर्व उनसे लिखित्त रूप में यह शपथ–पत्र/हल्फनामा लिया जाए कि वे भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर व छात्रावासों में कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे।

मद संख्या–30: कला निष्णात श्रेणी की परीक्षाओं में 4 वर्ष से अधिक का समय अन्तराल होने के उपरान्त अनुतीर्ण रहे परीक्षार्थीयों का Gap Condone कर उन्हें उपाधि पूर्ण करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने वर्ष 2000 एवं उसके उपरांत कला निष्णात श्रेणी में अनुतीर्ण छात्रों जिनका परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा न दे पाने का समय अन्तराल 4 वर्ष से अधिक हो चुका है के समय अन्तराल को माफ करते हुए उन छात्रों को कला निष्णांत उपाधि उत्तीर्ण करने के लिए दो विशेष अवसर जून, 2019 व नवम्बर, 2019 में रूपये 10,000/–प्रति सत्र (Semester) शुल्क के साथ प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या–31: प्राधिकारीगण के आदेशानुसार अध्यक्ष, प्रबंधन समिति (निरस्त)एस.वी.एस.डी. महाविद्यालय भटोली जिला ऊना हि0प्र0 से प्राप्त प्रतिवेदन (जो कि प्रबंधन समिति को बहाल करने से सम्बन्धित है) का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एस.वी.एस.डी. महाविद्यालय भटोली जिला ऊना हि0प्र0 की प्रबंधन समिति को बहाल करने हेतु सम्बन्धित समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, हिमांचल प्रदेश में दायर याचिका संख्या 9154/2014 में अंतिम निर्णय की शर्त के साथ बहाल करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2/

यथा–स्थान चर्चा :–

कार्यकारिणी सदस्य श्री बिपन कुमार ने विश्वविद्यालय में स्थित स्थानीय लेखा परीक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया और कहा कि स्थानीय लेखा परीक्षण विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से विधिक्षा के लिए प्रस्तुत ज्यादातर मामलों में अनावश्यक टिप्पणियां/आपत्तियां लगा रहा है जिससे कर्मचारियों के कार्य समयबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिस पर कुलपति महोदय ने आश्वस्त किया कि वे प्रकरण पर स्थानीय लेखा परीक्षण विभाग के सक्षम अधिकारियों से चर्चा कर इसका उचित समाधान निकालेंगे।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क काऊंटर जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक समरहिल द्वारा संचालित किया जा रहा है पर भी आपति जताई और कहा कि शुल्क काऊंटर भारतीय स्टेट बैंक को देने से विश्वविद्यालय के लेखों का उचित रख–रखाव नहीं हो पा रहा है। अतः विश्वविद्यालय में समस्त शुल्क/प्रभार ऑनलाइन कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया जाए। जिस पर कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में ई.आर.पी. प्रणाली लागू की जा रही है जिसका कार्य लगभग अप्रैल–मई माह में पूर्ण हो जाएगा, में ऑनलाइन शुल्क/प्रभार जमा करवाने का प्रावधान भी है।

बैठक के अंत में कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय में अपनी प्रिंटिंग प्रैसं स्थापित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया जिस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने मामले के परीक्षण और प्रिंटिग प्रैस स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने हेतु निम्न समिति का गठन किया:–

1. अधिष्ठाता अध्ययन –अध्यक्ष
2. वित्त अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी –सदस्य
3. परीक्षा नियन्त्रक –सदस्य
4. श्री बिपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् –सदस्य
5. सहायक कुलसचिव(कुलपति कार्यालय) –सदस्य
6. सहायक कुलसचिव(स्था०) –सदस्य

अंत में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(घनश्याम चंद) हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य–सचिव
31.1.2019

पुष्टिकरण

हस्ता०/–
(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति/सभापति

संलग्नक मद संख्या-11

संख्या 7–1/2004 हि.प्र.वि.(शै.)
प्रभारीः उप–कुलसचिव (शै.)
शैक्षणिक शाखा, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.

मद संख्या-11: शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10–07–2018 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

विवरण लेख शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति बैठक दिनांक 10–07–2018 में लिए गए निर्णय निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

मद संख्या 4 (ii):- **B.A.T.T.M and BHM के स्नातक स्तर का पाठयकम एवं अध्यादेश में संशोधन**

Decision;- शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने एम.टी.टी.एम विभाग (स्नातक स्तर) की पाठय समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 की मद संख्या 1 व 2 में की गई सिफारिशों व वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की बैठक दिनांक 02.07.2018 में मद संख्या 5 के अर्न्तगत प्रस्तावित तीन वर्षीय **Bachelor of Arts in Tourism and Travel Management** तथा **Revised syllabus of Bachelor of Hotel Management (BHM)** के पाठयकम को वार्षिक प्रणाली के अनुसार संलग्नकों सहित सत्र 2018–19 से लागू करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त समिति ने **अध्यादेश** 10.50 में प्रस्तावित संशोधनो को अनुमोदित कर कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। **(संलग्नक "क")**

....

विचारबिन्दुः– शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10–07–2018 में लिए गए निर्णयों जिन्हें कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

Ravi
16.1

Amendment in ordinance

Annexure "A"

Existing	Proposed
MASTER OF TOURISM ADMINISTRATION	**MASTER OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT**
10.50 The basis of admission to M.T.A. course shall be as under:-	10.50 The basis of admission to M.T.T.M. course shall be as under:-
(a) Written test 50 Marks (b) Past record 30 Marks (c) Group Discussion 10 Marks (d) Personal Interview 10 Marks Total 100 Marks	(a) Written test 50 Marks (b) Past record 30 Marks (c) Group Discussion 10 Marks (d) Personal Interview 10 Marks Total 100 Marks
The break-up of 30 marks for past records will be as under:-	The break-up of 30 marks for past records will be as under:-
(I) Matric./Hr. Sec. & any other equivalent examination :-10% of the percentage of marks obtained by a candidate.	(I) Matric or any other equivalent examination: - 10% of the percentage of marks obtained by a candidate.
(II) BA.B.Sc./B.Com. Or any other equivalent examination: - 10% of percentage of marks obtained by a candidate.	(II) 10 +2 or any other equivalent examination: - 10% of percentage of marks obtained by a candidate.
(III) B.A/B.Sc./B.com. or any other equivalent examination:- 10% of the percentage of marks obtained by a candidate	(III) B.A/B.Sc./B.com. or any other equivalent examination:- 10% of the percentage of marks obtained by a candidate
Total 30 Marks	Total 30 Marks

संलग्नक मद संख्या-15

संख्या 7–1/2004 हि.प्र.वि.(शै.)
प्रभारी: सहायक कुलसचिव (शै.)
शैक्षणिक शाखा, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5

मद संख्या:-15: शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27–12–2018 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

विवरण लेख शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27–12–2018 में लिए गए निर्णय निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

(मद संख्या 2):- शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अध्यादेश 14–B-14, 14-B-15, 14-B-16, 14-B-18, 14-B-19, 14-B-20, 14-B-21, 14-B-22 में संशोधन तथा नए संशोधन 14-B-23 एवं 14-B-13-(a) का मामला शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनाथ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने दंत विभाग की पाठय समिति एवं दंत संकाय की बैठक दिनांक 15–10–2018 में **BDS/MDS कोर्स** में अध्यादेश के अध्याय XIV में प्रस्तावित संशोधन 14–B-14, 14-B-15, 14-B-16, 14-B-18, 14-B-19, 14-B-20, 14-B-21, 14-B-22 तथा नए प्रस्तावित संशोधनों 14-B-23 एवं 14-B-13-(a) को संलग्नकों सहित अवलोकन कर सत्र 2018–19 सें लागू करने हेतू अपना अनुमोदन प्रदान किया व प्रस्तावित संशोधनों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। **(संलग्नक "क")**

(मद संख्या 3):- अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 24.09.2018 को मद संख्या 6 के अर्न्तगत लिए गए निर्णय को शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 24.09.2018 को मद संख्या 6 के अर्न्तगत लिए गए निर्णय को अवलोकित कर अपना अनुमोदन प्रदान किया। **(संलग्नक "ख")**

विचारबिन्दु:– शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27–12–2018 में लिए गए निर्णया/सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

Ord. No	EXISTING ORDINANCE OF H.P.UNIVERSITY	PROPOSED AMMENDMENTS/ADDTIONS TO BE ADDED IN THE FIRST ORDINANCE OF H.P.UNIVERSITY
14-B-14	There shall be following Post Graduate Degree Courses (MDS) 1. Oral and Maxillofacial Surgery 2. Periodontology 3. Orthodontics and Dentofacial Orthodopaedics 4. Public Health Dentistry 5. Prosthodontics and Crown & Bridge 6. Conservative Dentistry and Endodontics 7. Paedodontics and Preventive Dentistry 8. Oral Pathology and Oral Microbiology 9 Oral Medicine and Radiology	**14-B-14** There shall be following Post Graduate Degree Courses (MDS): 1. Oral and Maxillofacial Surgery 2. Periodontology 3. Orthodontics and Dentofacial Orthodopedics 4. Public Health Dentistry 5. Prosthodontics and Crown & Bridge 6. Conservative Dentistry and Endodontics 7. **Pediatric and Preventive Dentistry** 8. **Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology** 9 Oral Medicine and Radiology
14-B-15	Duration of the course (s): The duration of MDS Courses shall be 36 months.	**14-B-15** **Duration of the period/course (s):** 1. The period of training for the award of the MDS course shall be three (3) years duration for three academic years as full time candidates in an Institution including the period of examination. 2. The academic session shall commence from 1st May and cut of date of admission, even for stray vacancies, in Master of Dental Surgery Course shall be 31st of May every year. There shall be no admission of students in respect of academic session beyond the 31st May for Post-graduate course under any circumstances. The university or institute shall not register any student beyond the said date. 3. Provided that the time period required for passing out of the MDS course shall be a maximum of Six years from the date of admission in said course.
14-B-16	(a) **Admissions:-** The admission to the MDS shall be on the basis of a competitive examination to be conducted by the University as per the dates prescribed by the Dental Council of India from time to time. The following shall be the requirements for admissions:- (b) Candidate must possess BDS degree of HP University or any other University recognized by Dental Council of India. (c) Candidate must be registered with the State Dental Council of India (d). Number of students to be admitted in each session will be according to the approval by the Dental Council of India	**14-B-16** **ADMISSION:-** There shall be a uniform NEET for admission to the post-graduate dental courses in each academic year conducted in the manner, as prescribed by the National Board of examination or any other authority appointed by the Central Government in this behalf. The overall superintendence, direction and control of the NEET shall vest with the Council. **QUALIFYING CRITERIA FOR ADMISSION TO POST-GRADUATE COURSES:** The candidate has to secure the following category wise minimum percentile in NEET for admission to Post-graduate courses held in a particular academic year.

		<table><tr><td>General</td><td>50th percentile</td></tr><tr><td>Person with locomotory Disability of lower limbs</td><td>45th percentile</td></tr><tr><td>ST, ST, OBC</td><td>40th percentile</td></tr></table> Provided further, that when the number of qualifying candidates in the respective categories on the basis of the above mentioned percentile are less than three times the numbers of vacancies, the cut-off percentile will be automatically lowered in such a manner that the number of eligible candidates shall be minimum three times of seats in each respective category.
14-B-18	**Syllabus and method of Training :-**The courses and syllabus of studies shall be such as prescribed by the Board of Studies /Faculty from time to time.	**14-B-18** **SYLLABUS AND METHOD OF TRAINING:-** The courses and syllabus of studies shall be such as prescribed by the Board of Studies/Faculty of Dental Sciences in accordance with the Dental Council of India regulations from time to time.
14-B-19	**Examination:-**There shall be one examination at the end of three years and, annual in the month of May/ June and supplementary in the month of November/ December.	**EXAMINATION:-** There shall be Two examinations Part-I and Part-II. Part-I at the end of 1st years and Part- II at the end of three years i.e. in the month of April /May and supplementary in the month of October/ November.
14-B-20	**PART-A : THESIS** PART-B : WRITTEN PAPERS THEORY a) The protocols of the subjects shall be submitted to a committee consisting of three members to be appointed by the Dean from time to time with in first six months of start of the course and library assignment to be submitted at the end of first year to the Head of the Institution b). After approval of the plan of the thesis one copy of thesis shall be submitted to the Dean and four copies of the thesis shall be submitted to the university through Dean ,after one year of approval of protocol but not less then 6 months from the scheduled date of completion of course. c) The acceptance of the thesis shall be a precondition for appearing in the final examination (PART-B). (d) Thesis will be examined by two examiners appointed for this purpose (one internal and one external) . Internal examiner will be the one who has guided the thesis. They shall report whether the thesis is accepted or rejected or the candidate be	**14-B-20 to be added:-** The acceptance of the Dissertation/Thesis shall be a precondition for appearing in the Final examination (PART-II). Provided that a candidate whose dissertation has been accepted by the examiner, but declared failed at the examination, shall be permitted to re-appear at the subsequent examination without a new dissertation: Provided further that if the dissertation is rejected by the examiner, the examiner shall assign reasons therefore with suggestions for its improvement to the candidate and such candidate shall resubmit his/her dissertation to the examiner who shall accept it before appearing in the examination. a). The Synopsis/protocol of the subjects shall be submitted to a Committee consisting of three members (Principal and Senior Most PG Teachers to be appointed by the Dean for all Dental Colleges of the State) from time to time within Six months from date of commencement of the course. b). Library Dissertation to be submitted within eighteen month from date of commencement of the course to the Head of the Institution

	allowed to re-submit the thesis after revision. If the examiners disagree, the third examiner (an expert in the subject of thesis) shall be appointed on the recommendation of Dean of Faculty. (e) The thesis shall be accepted after unanimous approval of the examiners .If the thesis is rejected, the candidate will have the option to take another subject. In case of revision the examiner shall point out in writing the defects and make suggestions for improvement and modification. (f) The report of examiners on the thesis will be send to the controller of examinations at least one month before the actual commencement of Part-B (Final Examination).If the report /comment has not been received with the stipulated period from the external examiner Dean has been empowered by the faculty to accept the thesis as deemed proper. (g) A candidate whose dissertation has been accepted by the examiners, who is declared to be failed at the examination will be permitted to re appear at the subsequent examination without having to prepare a new dissertation.	**DISSERTATTION/THESIS:** a) After approval of the plan of the Dissertation/Thesis every candidate appearing for the post-graduate degree examination shall at least Six months before appearing for the university examination, submit with his/her form for examination, Four typewritten copies of the dissertation undertaken by the candidate, prepared under the directions and guidance of his/her guide. The dissertation so submitted shall be referred to the examiners for their examination and acceptance of it shall be a condition for appearing in the Part-II examination. b) One copy of thesis shall be submitted to the Dean and Four copies of the dissertation/thesis shall be submitted to the university through Dean, after one year of approval of protocol/synopsis but not less than Six months from the scheduled date of completion of course for sending these four copies to the examiners for the purpose of Evaluation. c) Dissertation/Thesis will be examined by Four examiners appointed for this purpose (Two Internal and Two External). They shall report whether the thesis is accepted or rejected or the candidate be allowed to re-submit the thesis after revision. If the examiners disagree, than another examiner (an expert in the subject of Dissertation/ Thesis) shall be appointed on the recommendation of Dean of Faculty. (d) The Dissertation/Thesis shall be accepted after approval of the examiners, if the thesis is REJECTED, the candidate will have the option to take another topic. In case of REVISION the examiner shall point out in writing the defects and make suggestions for improvement and modification. (e) The report of examiners on the Dissertation/Thesis will be sent to the Controller of Examinations at least one month before the actual commencement of Part-II (Final Examination). If the report /comment have not been received within the stipulated period from the external examiner than the Dean has been empowered by the faculty to accept the Dissertation/ Thesis as deemed proper.

Part-B (Final examination).

Written examination :-

The written examination shall consist of four papers, out of which two shall be pertaining to the specialty. One in applied basic sciences and one shall be an Essay .Each paper shall be of three hour duration.

Clinical / Practical examinations:-

It should aim at examining clinical skills and competence of candidates. For undertaking independent work as a specialist. The actual format of the clinical examination in various specialities could be worked out by various universities making sure that the candidate is given ample opportunity to perform various clinical procedures. The clinical desire that the actual format is made known to the students prior to the examinations well in advance by the respective universities.

VIVA VOCE EXAMINATION

Viva voce examination shall a make accessing depth of knowledge, logical reasoning, confidence and verbal communication skills. The council desires that only two examiners shall conduct the viva voce at a time as two terms, each term for twenty minutes. When one examiner is conducting the viva, other examiner could make a note of the questions asked and the performance level to enable proper assessment and award of marks.

DISTRUIBUTION OF MARKS AT THE UNIVERSITY EXAMINATION

Theory :-

Paper –I	75 Marks
Paper –II	75 Marks
Paper –III	75 Marks
Paper -IV	75 marks
Total	300 Marks

Practical and Clinical Examination:
= 200 Marks

Viva-Voce: 100 Marks

A candidate who wishes to study for MDS in a second speciality shall have to take the full course of 3 years in that speciality .

UNIVERSITY WRITTEN EXAMINATION :-

The university examination shall consist of theory, practical and clinical examination and viva-voce and Pedagogy.

(i) Theory:

Part -I: Shall consist of one paper.

There shall be a theory examination in the Basic Sciences at the end of 1st year of course. The question papers shall be set and evaluated by the concerned University. The candidates shall have to secure a minimum of 50% in the Basic Sciences and shall have to pass the Part-1 examination at least six months prior to the Final (Part-II) examination.

Part-II: Shall consist of three papers:-

(ii) Practical and Clinical Examination;
(iii) Viva-voce; and
(iv) Pedagogy.

A candidate who wished to study in a second speciality, shall have to undergo the full course of three years duration in that specialty.

CLINICAL/PRACTICAL EXAMINATION:

Clinical/practical examination is designed to test the clinical skill, performance and competence of the candidate in skills such as communication, clinical examination, medical/dental procedures or prescription, exercise prescription, latest techniques, evaluation and interpretation of results so as to undertake independent work as a specialist. The affiliating university shall ensure that the candidate has been given ample opportunity to perform various clinical procedures.

The practical/clinical examination may be extended for one day, if it is not complete in two days.

VIVA- VOCE EXAMINATION:

Viva voce examination aims at assessing the depth of knowledge, logical reasoning, and confidence and communication skill of the students.

SCHEME OF EXAMINATION:

Theory :-

Part-I:	Basic Sciences Paper	= 100Marks
Part-II:	Paper -I	= 100Marks
	Paper -II	=100Marks
	Paper-III	=100Marks
	Total	= 300 Marks

Written examination shall consist of Basic Sciences (Part-1) of three hours duration shall be conducted at the end of First year of MDS course. Part-II Examination shall be conducted at the end of Third year of MDS course. Part-II

		Examination shall consist of Paper-I, Paper-II and Paper-III, each of three hours duration. Paper-I & Paper-II shall consist of two long answer questions carrying 25 marks each and five questions carrying 10 marks each. Paper-III will be on Essays. In Paper-III three Questions will be given and student has to answer any two questions. Each question carries 50 marks. Questions on recent advances may be asked in any or all the papers. **DISTRUBUTION OF MARKS:** **Theory: 400 Total Marks** **(1) <u>Part-I</u>** **<u>University Examination (100 Marks):-</u>** There shall be 10 Question each (Total of 100 Marks) **(2) Part-II (3 Papers of 100 Marks):-** (I)Paper-1: 02 Long essay question of 25 marks each and 5 short essays of 10 marks each. (Total of 100 Marks) (II)Paper-II: 02 Long essay question of 25 marks each and 5 short essays of 10 marks each (Total of 100 Marks) (III) Paper III: 02 out of 03 essay questions (50 x 2 = 100 Marks) Practical and Clinical Examination: 200 Marks Viva-voce and Pedagogy : 100 Marks **<u>PAPER SETTING</u>:** **PART-I: Contains Two parts.** Part-A: Set by the External Examiner Part-B: Set by the Internal Examiner **PART-II: Contains Three papers.** Paper-I: Set by the 1st External Examiner Paper-II: Set by the 2nd External Examiner Paper-III: Set by the 2nd Internal Examiner **First Internal Examiner will act as Chief Moderator.**
14-B-21	Qualification & Experience for examiners :- 1. He should possess qualification and experience not less than that recommended for a teacher for post graduate degree programme. 2. No person who is not an active post graduate teacher in the subject can be appointed a s examiner 3. 50% of the external examiners shall be from out side the state 4. Reciprocal arrangement of Examiners should be discouraged in that the internal examiner in the subject should not accepted external examiner ship for a college from which external is appointed in his subject.	**<u>14-B-21</u>** **EXAMINERS :** **Part-I:** There shall be one internal and one external examiner for three students appointed by the affiliating university for evaluating the answer scripts of the same speciality. However, the number of examiners may increase with the corresponding increase in number of students. **<u>Part-II :</u>** There shall be four examiners in each subject. Out of them, two (50%) shall be external examiners and two (50%) shall be internal examiners. Both external examiners shall be from a university other than the affiliating university and one examiner shall be

	5. No person shall be an external examiner for the same Institution for more than two consecutive year, However, if there is a break of one year, the person can be re-appointed. **Examiners :** There shall be at least four examiners in each subject Out of Them two shall be external examiners. The qualification and teaching experience for appointment of an examiner shall be as laid down by the Dental Council of India and the respective university senior most internal examiner will act as moderator. The appointment of paper setters, moderator and examiners shall be made by the Dean from the list submitted by the head of the Institution.	from a university of different State. **QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR EXTERNAL EXAMINERS :-** 1. He should possess qualification and experience of a Professor in a post graduate degree programme. 2. A person who is not a regular post graduate teacher in the subject shall not be appointed as an examiner 3. Reciprocal arrangement of Examiners should be discouraged in that the internal examiner in the subject should not accepted external examinership for a college from which external is appointed in his/her subject. 4. No person shall be an external examiner for the same institution for more than two consecutive year. However, if there is a break of one year, the person can be re-appointed.
	EXAMINER CENTER:	As Such
	Evaluation of Answer Books : All the answer books shall be valued by for examiners, two internal and two external and the average marks will be computed	**EVALUATION OF ANSWER BOOKS :** **Part-I :** Answer book/s shall be evaluated by the internal and external examiner/s at the college level. **Part- II :** Answer books shall be evaluated by four examiners, two internal and two external and the average marks shall be computed.
14-B-22	**Criteria for Declaring as Pass:** To pass in the University examination, a candidate shall secure in both theory examination and in practical/ clinical including viva voce independently an aggregate of 50% of total marks allotted (150 marks out of 300 allotted for theory and 150 out of 200 for clinical + 100 for viva voce together). A candidate securing less marks as described above shall be declared to have failed in the examination All the regulation can be modified as per the direction of Dental Council of India from time to time.	**14-B-22** **CRITERIA FOR DECLARING AS PASS:** To pass in the University examination candidate shall secure in both theory examination and in practical/ clinical including viva voce independently with an aggregate of 50% of total marks allotted (50 out of 100 marks in Part-I examination and 150 marks out of 300 in Part -II examination in theory and 150 out of 300, clinical plus viva voce together). A candidate securing marks below 50% as mentioned above shall be declared to have failed in the examination. Marks will be assigned in the Details Marks Certificate. A candidate who is declared successful in the examination shall be granted a Degree of Master of Dental Surgery in the respective speciality.

	EXISTING NIL	PROPOSED AMMENDMENT IN THE ORDINANCE TO BE ADDED
14-B-23	Existing Nil in MDS	**To be added 14-B-23 in MDS** **MIGRATION:** Under no circumstances, the migration or the transfer of students undergoing post-graduate Degree/ Diploma shall not be permitted by the university or the authority. No Inter-change of the speciality in the same Institution or in any other Institution shall be permitted after the date of the commencement of session.
14-B-13-(a)	Existing Nil in BDS	**<u>To be added 14-B-13(a) in BDS/MDS</u>** **Regarding Centralized checking of BDS/ MDS papers of all Govt./Pvt. Dental Colleges.** The Centralized (digital/computerized if possible) evaluation of theory paper in all Four years of BDS examinations and Part- I & II MDS examinations of all the Govt./Pvt. Dental colleges falling under the H. P. university in order to maintain uniformity or to standardize the evaluation of theory paper, as is being done in most of Medical University of the country.

संलग्नक-ख मद संख्या-15

संख्या 7-1/2004-हि.प्र.वि. (शै)
प्रभारीः सहायक-कुलसचिव (शै)
हि.प्र.वि.वि. शिमला-5.

(मद संख्याः 3): अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 24.09.2018 को मद संख्या 6 के अर्न्तगत लिए गए निर्णय को शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है।

विवरण लेखः शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है कि अधिष्ठाता समिति ने बैठक दिनांक 24.09.2018 में मद संख्या 6 (पताका "क") में BCA/B.B.A. In Tourism and Travel Management Course में प्रवेशित छात्रों को परीक्षा उर्तीर्ण करने हेतु 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। 40% से 50% अंक लेने पर "C" ग्रेड और Grade Point 5.0 तथा 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को "F" ग्रेड तथा Grade Point 0.0 प्रदान करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय पर माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा अनुमोदन मिलने के उपरान्त छात्र-छात्राओ का बी.सी.ए./बी.बी.ए. इन टूरिज्म एंड टरैवल मैनेजमैंट कोर्स का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। अतः अधिष्ठाता समिति द्वारा लिए गए निर्णय को शैक्षणिक. परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

विचारार्थ बिन्दुः अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 24.09.2018 को मद संख्या 6 के अर्न्तगत लिए गए निर्णय शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 24-09-2018 से लिया गया सार

	The matter was discussed in detailed and it was decided unanimously that there should be uniform policy regarding admission to Ph.D. Programme in all the departments of the Univesity. So the proposal of MBA & MTA departments to admit NET/SLET candidates directly in the Ph.D. programme has been kept in abeyance. The remaining part may be forwarded to Executive Council for the amendments in the Ordinance.
Item No. 5	To place before the Deans' Committee the application regarding OBC roaster for Ph.D., represent by the candidate duly forward by the Chairman, Department of History, HPU, Shimla-5 for consideration.
	The Deans' Committee is of the opinion that being a policy matter it should be forwarded to the GAD.
Item No 6	To place before the Dean's Committee the matter regarding change in grade point / pass percentage in BCA / BBA in Tourism and Travel Management courses.
	The Deans' Committee recommended that the pass percentage for BCA and BBA in Tourism and Travel Management students should be 40% and in Absolute Grading System letter grade "C" be awarded to the students securing 40% to 50% marks with grade point 5.0 and further for students securing less than 40% be given letter grade "F" with grade point 0.0.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(Prof. Kaushalya Chauhan)

(Prof. Sudershan Rana)

(Prof. Jeet Ram Sharma)

(Prof. S.L. Kaushal)

(Prof. Pawan Garg)

(Prof. Sunil Deshta)

(Kamaljeet Singh)

(Arvind Kalia)
Chairman, Dean of Studies

Submitted for the approval of Hon'ble Vice Chancellor please

3/10/18

Hon'ble VC

3.10.18

संलग्नक मद संख्या- 26

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.01.2019 की कार्यवाही रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.01.2019 को 11:00 बजे समिति कक्ष आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 में आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	अध्यक्ष
2.	आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान, प्रति-कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	सदस्य
4.	श्री कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	सदस्य
5.	श्री सुभाष ठाकुर, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सैट न. 205, जवाहर लाल नेहरू विधायक सदन, शिमला-4	सदस्य
6.	आचार्य नैन सिंह, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
7.	श्री घनश्याम चंद (हि.प्र.प्र.से.), कुल सचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
8.	श्री नरेन्द्र ठाकुर, वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य-सचिव

मद संख्या 1. कुलपति महोदय का स्वागत भाषण ।

बैठक के आरंभ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति के नए सदस्यों श्री कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं आचार्य नैन सिंह, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्वागत किया ।

इसके उपरांत कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश को ICDEOL की मान्यता प्रदान करने हेतु धन्यवाद किया तथा साथ ही विश्वविद्यालय को नए पाठ्यक्रमों, प्रकोष्ठों एवं विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के आवासीय निर्माण तथा शिक्षकों के 250 एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के 300 पदों की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भर्ती हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 70.00 करोड़ अतिरिक्त अनुदान राशि सहित कुल

200 करोड़ अनुदान सहायता प्रदान करने का निवेदन किया । इसके अतिरिक्त कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के लेखों को जो कि 2015-16 से अंतिम रूप देने हेतु लंबित है को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु Chartered Accountant की सेवाएं लेने हेतु आग्रह किया । आग्रह को माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस प्रकरण में माननीय कुलपति महोदय को वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने हेतु सभी आवश्यक पग उठाने के लिए अधिकृत किया ।

तदोपरांत मदवार चर्चा आरंभ की गई :-

मद संख्या 2. वित्त समिति की दिनांक 11.09.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 11.09.2018 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि निम्नलिखित संशोधनों के साथ की गई :

मद संख्या 14: परिचारिका (Midwife) के पद को सहायक परिचारिका में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अतिरिक्त भर्ती हेतु पद के वेतनमान 5910-20200+1900 GP के स्थान पर 5900-20200+1900 GP की पुष्टि की ।

मद संख्या 17: कनिष्ठ कार्यालय सहायक (लेखाकार) श्रेणी-III के स्थान पर कनिष्ठ सहायक (लेखाकार) श्रेणी-III अंकित हुए शब्द के त्रुटि सुधार संशोधन तथा दिनांक 12.10.2018 को जारी अधिसूचना की पुष्टि की गई ।

मद संख्या 20: पुस्तकालय परिचर के वेतनमान को 4910-10680+1650 ग्रेड पे के स्थान पर 4900-10680+1650 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ।

मद संख्या 25: बैठक में मद संख्या 25 के अंतर्गत IIHS में कार्यरत कर्मचारियों के बजट प्रावधान हेतु मामला प्रस्तुत किया गया था जिस पर वित्त समिति द्वारालिए गए निर्णय की निम्नलिखित संशोधन के साथ पुष्टि की गई:

समिति ने वित्त समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13.02.2014 मद संख्या 4 के अंतर्गत लिए गए निर्णय को उचित ठहराया ।

मद संख्या 43: पुस्तकालय परिचर का वेतनमान रू. 4900-10680+1300(GP) के स्थान पर वेतनमान रू. 4900-10680+1650(GP) की पुष्टि की पुष्टि की गई ।

मद संख्या 3. वित्त समिति की दिनांक 11.09.2018की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट ।

अनुमोदित।

मद संख्या 4. To place before the Finance Committee the matter of establishment of legal and RTI Cell in the University with creation of posts.

अनुमोदित। समिति द्वारा Legal Cell हेतु एक पद Law Officer, एक पद Senior Assistant (With Legal Background)तथा एक पद JOA (IT),एवं चतुर्थ श्रेणी के एक पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने के स्वीकृति भी प्रदान की ।

मद संख्या 5. To place before the Finance Committee the matter of strengthening of Pension Cell and General Provident Fund (GPF) section of the University alongwith proposal for creation of additional posts.

वित्त समिति नेPension Cell हेतु एक पद Deputy Controller, HP F&AS (OB) सृजित कर वित्त विभाग से स्थानांतरण आधार (Secondment Basis), एक पद Senior Assistant, एक पद JOA (IT)और चतुर्थ श्रेणी के एक पद को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 6. वित्त समिति के समक्ष हि. प्र. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला के लिए सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा के पद के सृजन बारे ।

स्थगित ।

मद संख्या 7. To place before the Finance Committee the matter of establishment of placement Career and Guidance Cell (PCGC) with creation of One post of Director Placement, One post of Deputy Registrar, One post of Section Officer, Two posts of Senior Assistants, three posts of Junior Office Assistants (IT)/ Clerk(s) and one post of Peon.

वित्त समिति ने Placement Career and Guidance Cell (PCGC) हेतु एक पद Placement Officer वेतनमान 15600-39100+6000 AGP,एक पद Senior Assistant, एक पद JOA (IT) और एक पद Peon का सृजित करने के साथ Placement Officer का पद नियमित आधार पर तथा शेष पदों को राज्य सरकार की नीति अनुसार अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 8. कुलपति महोदय के आवास के लिए कुक के एक पद के सृजन का मामला वित्त समिति समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुलपति आवास के लिए Cook के एक पद को स्वीकृत पदों से परिवर्तित कर सृजित किया जाए तथा कृत कार्यवाही की पुष्टि आगामी बैठक में करवाने की संस्तुति प्रदान की ।

मद संख्या 9. To place before the Finance Committee the matter for creation of Teaching & non- teaching posts in the Department of Physical Education.

वित्त समिति ने शारीरिक शिक्षा विभाग में शिक्षक वर्ग में NCTE के मानदंडों के आवश्यकता के अनुरूप विभाग में उपलब्ध सहायक आचार्यों के एक पद को सह-आचार्य के पद में परिवर्तित कर आचार्य-01 पद, सह-आचार्य-02 पद एवं सहायक आचार्य के 03 पदों (कुल 06 पद) को नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की ।

मद संख्या 10. वित्त समिति के बैठक दिनांक 11.09.2018 में मद संख्या 27 के अंतर्गत पारित आदेशों की अनुपालन में विश्वविद्यालय में चार उपाधि लेखनकर्ताओं के पद सृजन हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखने बारे।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में उपाधि शाखा के लिए चार उपाधि लेखनकर्ताओं के पदवेतनमान 5910–20200+1900 (GP) को उत्तरव्यापी (Prospectively) प्रभाव से भरने की स्वीकृति प्रदान की । जिसके एवज में लिपिकों के 4 रिक्त पदों को विलुप्त किया जाएगा । उक्त पदों के विरुद्ध चारों उपाधि लेखनकर्ताओं को लिपिक वर्ग के पद हेतु निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरांत नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 11. वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2018 के मद संख्या-27 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम के श्री विपन कुमार, सदस्य कार्यकारिणी परिषद द्वारा उपाधि शाखा में प्रति उपाधि दर पर कार्यरत उपाधि लेखनकर्ताओं को लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित करने बारे दिया गया प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित संस्तुति हो हेतु प्रस्तुत करने बारे।

मद को निर्लिप्त (Withdrawn) किया गया ।

मद संख्या 12. To place before the Finance Committee the matter of creation of two posts of Medical Officer (Dental) for HPU Health Centre.

स्वीकृत । वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में एक पद Medical Officer (Dental) राज्य सरकार के इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दन्त शल्य चिकित्सा विभाग के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान एवं भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सृजन की स्वीकृति प्रदान की तथा उक्त पद को अनुबंध आधार पर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की

मद संख्या 13. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत निजी स्टाफ के अधिकारियों /कर्मचारियो को अगले उच्च पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ /अनुमति हेतु प्रस्तुत है ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 14. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 15 मई 2003 से पूर्व दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना शाखा एवं विभिन्न प्रोजेक्ट/योजना/विभागों द्वारा नियुक्त किए गए नियुक्त कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (GPF) एवं पेंशन लाभ प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

स्थगित । समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (GPF) एवं पेंशन लाभ राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त समरूप मामलों के निर्णय के अनुरूप प्रदान किए जाएंगे क्योंकि राज्य सरकार के अन्य विभागों से भी इस तरह के देय लाभों के लिए मामले विचाराधीन हैं अतः विश्वविद्यालय से संबन्धित उक्त मामले का निपटारा राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप किया जाएगा ।

मद संख्या 15 To place before the Finance Committee the matter of absorption of Teaching/Non- Teaching employees recruited under Self Financing Scheme/NRI funds/Projects in various Teaching Departments along with transfer of funds into the main stream of the University.

वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई तथा सभी मामलों में कुलपति द्वारा गठित समिति के द्वारा Merit आधार पर परीक्षण करने के उपरांत SFS/NRI/Projects के अन्तर्गत भर्ती किए गए सभी शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों का विलय कानूनी सलाह लेने के उपरांत किया जाएगा तथा भविष्य में सभी शिक्षक/गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में ही नियमानुसार/ आवश्यकतानुसार सृजित किए गए पदों के अनुसार की जाएगी और SFS/NRI के अंतर्गत

आज के उपरांत कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। यदि ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आता है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त सभी शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों का विलय संबन्धित विभाग की सम्पूर्ण धनराशि सहित विश्वविद्यालय की मुख्यधारा में किया जाएगा।

मद संख्या 16. Place before the Finance Committee, matter regarding Creation of Posts (JOA- Accounts-01, JOA (IT)-02=03 Pay Scale: 5910-20200+1950 Grade), Lab Attendant-04 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Hostel Clerk-02 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Hostel Attendant-02 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Peon-03 Pay Scale: 4900-10680+1300 Grade), Network Engineer Jr. Technician (Gr-IV)-01 Pay Scale: 10300-34800+3200 Grade), Mechanic (Civil-01, Electrical-01 & Electronics & Communications-01 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Gardner (Mali-02 Pay Scale: 4900-10680+1300 Grade) & Chowkidar-06 Pay Scale: 4900-10680+1300 Grade) in UIIT. (under SFS)

मद को निर्लिप्त (Withdraw) किया गया।

मद संख्या 17. Place before the Finance Committee, matter regarding Creation of a Post of Driver (Light Motor Vehicle) in UIIT in the Pay Scale: 5910-20200+2000 Grade Pay+Emoluments as applicable for Contractual Employees. (under SFS)

स्थगित।

मद संख्या 18. Place before the Finance Committee, matter regarding grant of permission to Purchase a Vehicle like INNOVA for the UIIT (under SFS).

वित्त समिति द्वारा वाहन क्रय के प्रस्ताव पर असहमति प्रकट करते हुए विभागीय कार्य निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर टैक्सी सेवा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त करने के स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 19. To place before the Finance Committee the matter with regard to approve the implementation of GPF-cum-Gratuity scheme to those PRC staff who have joined their services before May 2003 at par with HP University employee as recommended by Committee constituted by Hon'ble Vice-Chancellor, HP University, Shimla during its meeting held on 27th March, 2017 and approved by the Hon'ble Vice-Chancellor.

स्थगित।

मद संख्या 20. विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न श्रेणियों (शिक्षक वर्ग, तकनीकी कर्मचारी एवं गैर कर्मचारी) के निम्नलिखित पदों को स्वयं वित्त पोषित श्रेणी से निकालकर वि. वि. की मुख्य धारा में लाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। ये सभी पद संस्थान की स्वयं वित्त पोषित निधि के अंतर्गत सृजित किये गए हैं।

मद को निर्लिप्त (Withdraw) किया गया।

मद संख्या 21. व्यवसायिक अध्ययन संस्थान (पर्यटन) हि० प्र० वि० में स्वयं वित्त पोषित निधि में से दैनिकभोगी/तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गये कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में नियमित करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बारे।

मद को निर्लिप्त (Withdraw) किया गया।

मद संख्या 22. Regularization of services of Dr. Nikhil Sharma (Information Officer) and Mr. Manoj Kumar Sharma (Technical Assistant), Sub-Distributed Information Centre (Bioinformatics Centre) Department of Biotechnology, Himachal Pradesh University, Shimla.

मामले का निपटारा मद संख्या 15 में लिए गए निर्णय अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 23. विश्वविद्यालय में स्थित जनजातीय अध्ययन संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में उक्त श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध समाहित करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद में आवश्यक कार्यवाही मद संख्या 15 में लिए गए निर्णय के अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रादान की।

मद संख्या 24. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.08.2017 की मद संख्या-34 के अंतर्गत श्रीमती लीना मिश्रा, Data Entry Operator के पक्ष में सृजित पद हेतु वेतनमान 10300-34800+1900 ग्रेड पे के स्थान पर प्रदेश सरकार में प्रचलित उक्त पद हेतु रुपये 5910-20200+1900 ग्रेड पे वेतनमान संशोधन का मामला वित्त समिति समक्ष विचारार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव अनुरूप संशोधित वेतनमान को वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

- न -

मद संख्या 25. To place before the Finance Committee (FC), matter regarding appointment of Technical and Ministerial staff in the newly created Department of Interdisciplinary Studies (DIS) in the Institute of Integrated Himalayan Studies, H.P. University, Shimla under Self-Financing Scheme.

वित्त समिति द्वारा IIHS के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित पदों को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में सृजन की स्वीकृति प्रदान की :

1.	**JOA (IT)**	-	**01**
2.	**Lab Technician**	-	**01**
3.	**Lab Assistant**	-	**01**
4.	**Peon**	-	**01**

उक्त पदों को आवश्यकता अनुसार अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की ।

मद संख्या 26. To place before the Finance Committee the matter of absorption/merger of the staff engaged by the Centre for Women Studies for consideration and decision.

व्यापक विचार विमर्श उपरांत वित्त समिति द्वारा Centre For Women Studies में कार्यरत दोनों कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में एक पद Project Officer व एक पद Research Fellow वेतनमान 15600-39100+6000 AGP में सृजित कर विलय की स्वीकृति प्रदान की बशर्ते उक्त कर्मचारी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों ।

मद संख्या 27. To place before the Finance Committee the matter of filling up the posts of Project Fellows/Junior Research Fellows/Senior Research Fellows, Research Associate in the Extramural Projects funded by the State and National funding agencies including UGC for consideration and decision.

मद को निर्क्षिप्त (Withdraw) किया गया ।

मद संख्या 28. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अधीक्षक (नि:संवर्ग) की श्रेणी जिन्होंने 17 वर्ष से अधिक की सेवाएं बतौर लिपिक/कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक प्रदान की है, को ग्रेड-II के समकक्ष रूपये 4800/- ग्रेड पे प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 29. To place before the Finance Committee the matter regarding creation of three posts of Assistant Professors in Journalism and Mass Communication.

वित्त समिति द्वारा पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में सहायक आचार्य के 02 पद सृजित कर नियमित आधार पर निर्धारित वेतनमान 15600-39100 + 6000 GP में भरने की भी स्वीकृति प्रदान की । पदों की भर्ती हेतु प्रार्थी उक्त पदों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हों ।

मद संख्या 30. विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों में सहायक कुलसचिव की श्रेणी में आई वेतन विसंगति दूर करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों में सहायक कुलसचिव की श्रेणी में आई वेतन विसंगति दूर करने के मामले को सरकार की वेतन विसंगति निर्धारण समिति (Anomaly Committee) के समक्ष पूर्ण तथ्यों सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 31. डॉ. रणवीर चंद वर्मा ; जन संपर्क अधिकारी के अभ्यावेदन अनुसार उन्हे एक ही पद पर 8 वर्ष का सेवाकाल दिनाक 8.6.2005 को पूर्ण होने उपरांत दिनांक 9.6.2005 से वेतनमान रु. 2200-4000 यू.जी.सी. के स्थान पर उच्च वेतनमान रु. 3700-5700 यू.जी.सी. तथा दिनांक 31.12.2005 तक इसी वेतन मान में रखते हुए दिनांक 1.1.2006 से राज्य सरकार के वेतनमान के अनुरूप वेतन मान प्रदान करने एवं शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर आचार्य , पत्रकारिता एवं जन संपर्क के पद पर पदोन्नति देने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/ अनुसंशा हेतु प्रस्तुत ।

वित्त समिति द्वारा मामले के परीक्षण हेतु समिति गठित कर उसकी कार्यवाही रिपोर्ट को वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 32. सह-आचार्य डॉ. ललित ढडवाल, विधि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमान की धारा 9.4 (ii) 9.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.9.2008 से LLM एवं Ph.D की शोध उपाधियाँ अर्जित करने पर क्रमशः दो एवं 3 अग्रिम Non-Compoundable वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने हेतु किया गया निवेदन वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में ।

2/

स्वीकृत । वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वित्त समिति द्वारा सहायक आचार्य डॉ. ललित धडवाल के पक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों धारा 9.4 (II) के अंतर्गत दिनांक 01.01.2006 से अधिसूचित वेतनमान Ph.D की उपाधि

धारण करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ Non-Compoundable दिनांक 01.09.2008 से प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्णय Similar Situated Ph. D धारकों, यदि कोई पात्र हो, को भी लागू हो।

मद संख्या 33. To place before the Finance Committee the matter of amendment in the Recruitment & Promotion Rules for the post of Additional Controller of Examinations and Planning & Development Officer.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 34. श्री किशोरी लाल, सहायक अभियंता (ऑटो) का अधिशाषी अभियन्ता (ऑटो) के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवम संस्तुति हेतु प्रस्तुत ।

वित्त समिति द्वारा श्री किशोरी लाल, सहायक अभियंता (ऑटो) को अधिशाषी अभियन्ता (ऑटो) के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रचलित वेतनमान में प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 35. To place before the Finance Committee, the Joint representation of Editors and Sub-Editor of ICDEOL for up gradation the posts to Joint Director, Deputy Director/ Sr. Editor and Assistant Editor on the analogy of information and Public Relations Department Govt. of Himachal Pradesh.

व्यापक विचार विमर्श उपरांत वित्त समिति द्वारा ICDEOL में वर्तमान में कार्यरत 03 Editors वेतनमान 10300-34800 + 5400 (GP) को व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करते हुए उक्त वेतनमान में Sr. Editors के पद पर Re- designate करने की स्वीकृति प्रदान की तथा भविष्य के लिए Sub-Editor, Editor and Sr. Editor के पदों की संख्या को निम्न प्रकार से पुन: निर्धारित की:

Sr. No.	Name of the Posts	Existing	Revised	Scale
1.	Sub- Editor	01	01	10300-34800+4200 (GP)
2.	Editor	03	01	10300-34800+5000 (GP)
3.	Sr. Editor	00	01	10300-34800+5400 (GP)

उक्त पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम राज्य सरकार के निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग के समरूप अंगीकार (adopt) करने की स्वीकृति भी प्रदान की ।

मद संख्या 36. वित्त समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में मैस हेल्पर के रिक्त पदों के विरुद्ध छात्र देय (Student Paid) पर कार्यरत हेल्परों की सेवाओं को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति नियम की शत प्रतिशत सीधी भर्ती की शर्त में ढील प्रदान करते हुए दैनिक वेतन भोगी आधार पर परिवर्तित करने हेतु मामला विचारार्थ प्रस्तुत है ।

समिति द्वारा छात्र देय (Student Paid) पर कार्यरत हेल्परों की सेवाओं को निर्धारित सेवा शर्तों, योग्यता की पूर्ति उपरांत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 37. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डाटा एंट्री ऑप्रेटर के पद पर कार्यरत श्री विक्रम धवन को, उनके अभ्यावेदन के दृष्टिगत, संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित 100 प्रतिशत सीधी भर्ती बारे प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में सृजित कम्प्यूटर ऑप्रेटर (कनिष्ठ), जो कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित (अधिसूचना संख्या 3-9/84-हि.प्र.वि.वि. (सा.) खण्ड-II दिनांक 29.09.2012) किए जाने उपरांत कम्प्युटर ऑप्रेटर (पूर्व संशोधित वेतनमान : रु 5800-9200) के पद पर परिवर्तित कर दिये गये हैं पर पदोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कम्प्युटर ऑप्रेटर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में मद अनुसार आवश्यक संशोधन कर पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 38. विश्वविद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों जो एक ही पद पर लगभग 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हैं, को कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 39. श्री जोगिन्द्र कुमार, परिचालक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2018 के अनुरूप अतिकाल भत्ते (Overtime Allowance) की बकाया राशि के भुगतान का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 40. डॉ. मुकेश कुमार, प्रणाली विश्लेषक, संगणक केंद्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रणाली विश्लेषक के पदनाम को परवर्तित कर सह आचार्य का पदनाम एवं आचार्य के पद पर क्रमोन्नति/वेतनमान प्रदान करने हेतू किए गए निवेदन को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में ।

वित्त समिति द्वारा मामले के परीक्षण हेतु समिति गठन करने की अनुशंसा एवं समिति की कार्यवाही रिपोर्ट को वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 41. To place before the Finance Committee, the recommendation made by the Academic Committee of HPUBS in its meeting held on 23.07.2018 for consideration and further recommendation/approval regarding enhancement of Honorarium to Experts in Group Discussion and Personal Interview of MBA admissions.

वित्त समिति ने मद अनुसार प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 42. वित्त समिति के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति करने/पदोन्नति/सीनियर स्केल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार जारी करने के लिए गठित संविक्षा समिति तथा चयन समिति के बाहरी आमंत्रित /मनोनीत सदस्यों को मानदेय तय करने बारे ।

वित्त समिति ने मद अनुसार प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 43. डॉ. श्रीमती मोहनी भारद्वाज , कम्प्युटर प्रोग्रामर के पद को डॉ. धिरेंदर शर्मा, की तर्ज पर/के समान सहायक आचार्य (प्रोग्रामिंग)–एवं–प्रोग्रामर (Assistant Professor-Programming-cum-Programmer) मे पूर्णपदनाम (re-designate) करनें बारे विचार हेतु प्रस्तुत ।

वित्त समिति द्वारा मामले के परीक्षण हेतु समिति गठन करने की अनुशंसा एवं समिति की कार्यवाही रिपोर्ट को वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 44. विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात संयुक्त-कुलसचिव, अतिरिक्त वित्त अधिकारी का योजना एवं विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के समकक्ष व वेतनमान रू. 37400-67000+8900 ग्रेड पे और उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव के क्रमशः दो और पांच पदों का प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों तथा वेतनमान में सृजन बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

स्थगित ।

मद संख्या 45. To place before the Finance Committee the matter of amendment in the Recruitment & Promotion Rules for the post of Restorer as per the recommendation of the Recruitment and Promotion Committee meeting held on 30.01.2017.

स्वीकृत ।

मद संख्या 46. To place before the Finance Committee the matter or framing Recruitment & Promotion Rules and pay scale for the post of Computer Lab Attendant on the basis of the post of Laboratory Attendant.

स्वीकृत ।

मद संख्या 47. To place before the Finance Committee the matter of framing/amending the R&P rules for the posts of Construction Division on the analogy of the Himachal Pradesh Public Works Department.

स्वीकृत ।

मद संख्या 48. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सुरक्षा पर्यवेक्षक के पद को सहायक सुरक्षा अधिकारी- एवं- अग्निशमन अधिकारी के रूप में व्यक्तिगत तौर पर क्रमोन्नत करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

स्थगित ।

मद संख्या 49. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 35 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों के पदों को सृजित कर भरने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद को निर्लिप्त (Withdrawn) किया गया ।

मद संख्या 50. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत श्री रमेश चंद को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों बारे निहित वांछित सेवाकाल में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए सुरक्षा पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पद पर वेतनमान 10300-34800+3600 ग्रेड पे पर पदोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

वित्त समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संबन्धित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति दी ।

मद संख्या 51. To place before the Finance Committee the matter of adoption of the R&P rules for the post of Superintending Engineer on the analogy of the Himachal Pradesh Public Works Department alongwith the upgradation of the post of Executive Engineer (Const.) to the Superintending Engineer as a measure personal to Sh. Sanjay Sharma and shall cease to exist after his superannuation.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 52. वित्त समिति द्वारा मद संख्या-39 के अंतर्गत दिनांक 11.09.2018 के द्वारा कुक के 09 पद नियत वेतन आधार से परिवर्तित कर अनुबंध आधार पर सृजित हुए पदों को नियमित आधार पर परिवर्तित करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 11.09.2018 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या 39 द्वारा कुक के अनुबंध आधार पर 09 पदों को नियमित आधार पर सृजन एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 53. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी संवर्गों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध/दैनिक वेतन आधार पर भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

मद को निर्लिप्त (Withdrawn) किया गया ।

मद संख्या 54. Place before the Finance Committee, matter regarding grant of Seating fees per day as Honorarium of Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only) to the external Examiner to conduct the B. Tech. Students External Practical Examination Viva-voce. Also the same Honorarium of Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only) may be applicable for the outside experts to attend meetings of Board of Studies/Research Degree Committees/Advisory Committees and other related Committees hosted by the UIIT from Self-Financing Scheme (SFS) Fund.

वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 55. Place before the Finance Committee, matter regarding grant of permission to UIIT for giving Honorarium of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) per invited Lecture (One hour) to the Invited Speakers.

वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 56. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा निदेशालय में मार्कर के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री बलदेव चन्द को व्यक्तिगत क्रमोन्नत कर खेल निरीक्षक एवं भंडार सहायक (Sports Supervisor-cum-Stock Assistant) के पद पर वेतनमान रुपये 10300-34800+4200 ग्रेड पे प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 57. माननीय हि.प्र. प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा CWP संख्या 5001/2018 दिनांक 21.08.2018 में पारित आदेश की अनुपालना में डा. विनय कुमार, स्वास्थ्य अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 12000-16350 (प्री रिवाईजड) में व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 58. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में स्वयं पोषित निधि के अन्तर्गत कार्यरत श्री अविनाश भारद्वाज को कम्प्यूटर तकनीशियन की पदोन्नति से संबन्धित ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 59. To Place before the Finance Committee the matter of creation of two post(s) of Junior Engineer(s) Mechanical on contractual basis in the pay scale of Rs. 10300-34800+3800 Grade Pay for Pool Office.

वित्त समिति द्वारा एक पद कनिष्ठ अभियंता (ऑटो) के पद को प्रचलित वेतनमान में अनुबंध आधार पर सृजन कर भरने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 60. श्रीमती श्वेता राजपूत स्वयं पोषित योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यू.आई.आई.टी. विभाग में नियुक्त प्रोग्रामर को नियमित वेतनमान रू.15600-39100+5400 (ग्रेड पे) प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

<u>यथास्थान मदें</u>

मद संख्या 1. श्री देवेन्द्र कुमार, चालक (हल्का वाहन) का प्रतिवेदन जिसमें उन्होंने उनके पद को लिपिक के पद में परिवर्तित करने बारे अनुरोध किया गया है वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित संस्तुति हो हेतु रखने बारे।

समिति द्वारा मामले को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप निपटारे की अनुशंसा की।

मद संख्या 2. विश्वविद्यालय वित्त समिति के समक्ष वरिष्ठ विशेष निजी सचिव के दो पद वेतनमान रुपये 15600-39100+8400 (ग्रेड पे) में सृजित करने एवं उक्त पद हेतु प्रदेश सरकार में प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियम विश्वविद्यालय में अपनाने का मामला विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

स्थगित।

मद संख्या 3. To place before the Finance Committee the matter for creation of 14 posts of various categories in the H.P. University, Library.

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पद सृजन हेतु एक समिति गठित कर उसकी अनुशंसा को वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4. To place before the Finance Committee matter of engaging Govt./PSU's construction agencies for construction work of the University in addition to the inhouse execution by the construction wing of the University.

स्वीकृत। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आंतरिक कार्य निष्पादन के अतिरिक्त विभिन्न बाह्य सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों जैसे CPWD, HIMUDA, ADB, BSNL आदि निर्माण संस्थाओं से (Deposit Work) आधार पर निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या5. श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी, एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान (Department ofInterdisciplinary Studies) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सेवाओं को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मुख्य धारा (main stream) में सृजित रिक्त पदों के विरुद्ध शामिल करने व नियमित करने के लिए किए गए निवेदन को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के संदर्भ में ।

मामले का निपटारा मद संख्या 15 में लिए गए निर्णय अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या6. विश्वविद्यालय के संगणक केन्द्र परीक्षा विंग (ComputerCentre Examination Wing) में रूसा प्रणाली (RUSA System) के अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु रखे गये दो प्रोग्रामर की सेवाओं को प्रथमतः आउटसोर्स तत्पश्चात आकस्मिक प्रभार (Contingent Charges) पर से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए अनुबन्ध आधार पर लाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या7. (A) Teaching Posts: Professors-03 (37400-67000+10000 Grade Pay), Associate Professor-06 (37400-67000+9000 Grade Pay), Assistant Professor-30 (15600-39100+6000 Grade Pay) and (B) Non-Teaching Posts: (JOA=3: Accounts-01, JOA (IT)-02 Pay Scale: 5910-20200+1950 Grade), Lab Attendant-06 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Hostel Clerk-02 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Hostel Attendant-02 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Peon-03 Pay Scale: 4900-10680+1300 Grade), Network Engineer (Junior Tech. (G-IV)-01 Pay Scale: 10300-34800+3200 Grade), Mechanic (Civil-01, Electrical-01 & Electronics & Communications-01 Pay Scale: 5910-20200+1900 Grade), Gardner (Mali-02 Pay Scale 4900-10680+1300 Grade) & Chowkidar-06 Pay Scale 4900-10680+1300 Grade) in UIIT to run the three New Branches namely, Civil Engineering, Electrical Engineering and Electronics & Communications Engineering under Self-Financing Scheme (SFS).

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आगामी सत्र से दो नए पाठ्यक्रम Civil Engineering तथा Electrical Engineering को प्रारम्भ करने तथा इसके पश्चात इन पाठ्यक्रमों की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता देख कर Electronics & Communication Engineering को भी प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी । साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों के सृजन एवं भर्ती को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा के माध्यम से भरने की स्वीकृति भी प्रदान की तथा Security/ Chowkidar/ Mali/ Sweeping Services को केवल outsource के माध्यम से ही भरी जाएगी।

मद संख्या 8. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जन संपर्क कार्यालय में अशुद्धि शोधक (Proof Reader) के पद पर गत 20 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारी को सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (APRO) के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा जन संपर्क कार्यालय में अशुद्धि शोधक (Proof Reader) के पद पर गत 20 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारी को सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (APRO) के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति (As a personal measure) हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 9. श्री बरड़ु राम, निर्माण विभाग की राशि ₹ 7,52,280/- (रुपये सात लाख बावन हज़ार दो सौ अस्सी मात्र) को माफ कर राहत प्रदान करने हेतु मद वित्त समिति के समक्ष उचित अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा श्री बरड़ु राम, निर्माण विभाग से वसूल की जाने वाली राशि को सेवानिवृति तिथि के उपरांत माफ कर राहत प्रदान करने हेतु CWP State of Punjab Vs. Rafiq Masiha AIR 2015 SC 696 के अंतर्गत निष्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 10. विश्वविद्यालय में शिक्षक वर्ग के सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों को विज्ञापित करने हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में ।

स्वीकृत । वित्त समिति द्वारा भविष्य में समिति द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत पुनः मामलों को वित्त समिति के समक्ष बार–बार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत न करने की सलाह दी ।

मद संख्या 11. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी संवर्गों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध/दैनिक वेतन आधार पर भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदन एवं संस्तुति ।

वित्त समिति ने सभी गैर शिक्षक स्वीकृत पदों पर भर्ती करने की अनुमति प्रदान की ।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई ।

(नरेन्द्र ठाकुर) सदस्य	(घनश्याम चंद) सदस्य	(आचार्य नैन सिंह) सदस्य	(सुभाष ठाकुर) सदस्य
(कमलेश कुमार पंत) सदस्य	(अनिल कुमार खाची) सदस्य		(आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान) प्रति-कुलपति

पुष्टीकरण

(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति,
हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5